C 51

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.5 (283)/निपेवि/नियम/2015 646-85 H दिनांक : 10-02-2016

कोषाधिकारी,
समस्त राजस्थान।

विषय :– पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 06.01.2016 को आयोजित विडियो कान्फेंस के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते है:–

1. पेंशनर एवं उसकी पत्नी के मृत्यु के उपरान्त पेंशन भुगतान आदेश निरस्त कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 7–45 एच दिनांक 01.01.2016 में दिये गये निर्देशो के अनुसार पेंशन भुगतान आदेश की दोनो प्रतियों पर अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र लगाकर पेंशन विभाग को भिजवाये जावे तथा कोषालय के डाटाबेस से पेंशन का डाटा हटाया जावें।
2. किसी भी पेंशन भुगतान आदेश/पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश में पेंशन विभाग द्वारा संशोधन किया जाने पर पत्र/अधिकृति के अनुसार पेंशनर के डाटा में संशोधन किया जावे तथा संशोधन उपरान्त पत्र/अधिकृति बैंक शाखा को भिजवाई जावे जो बैंक स्तर पर डाटाबेस में आवयश्क संशोधन करायेगा।
3. पेंशन विभाग द्वारा पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि निर्धारित कर कोषाधिकारी को पत्र द्वारा सूचित की जाती है, उस पर भी बिन्दु 2 के अनुसार कार्यवाही की जावें।
4. पेंशन भुगतान का कोषालय परिवर्तित करने हेतु पेंशनर पत्रावली कोषालय को भिजवाने के साथ–साथ पेंशनर का डाटा एवं मेडिकल डायरी का डाटा भी स्थानान्तरित किया जावे।
5. राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 143 एवं 145 के अन्तर्गत बकाया पेंशन एवं जीवन कालीन बकाया का भुगतान कोषालय स्तर पर किया जावे।
6. पेंशन/पेंशन एरियर की गणना के सम्बन्ध में निम्न बिन्दूओं का ध्यान रखा जावे।
   (i) रूपान्तरित पेंशन (Commuted Pension) की कटौती माह के किसी भी दिवस से प्रारम्भ होने पर 14 वर्ष बाद पुनर्वहाली अगले माह की 1 तारीख से की जावेगी।
   (ii) 80/85/90/95/100 वर्ष की आयु होने पर देय अतिरिक्त पेंशन का भुगतान उसी माह की 1 तारीख से किया जायेगा ।
   (iii) माह के बीच पेंशनर की मृत्यु होने पर या बढी हुई दर (Enhanced Pension) से पारिवारिक पेंशन देय न रहने पर तथा साधारण दर से पारिवारिक पेंशन देय होने पर पेंशन की गणना प्रतिदिन के आधार पर की जावेगी।

भवदीय

(के.के.गैडियोक)
निदेशक